ICAN's Initiative

CAMPAIGN TO DEFEND NATURE AND PEOPLE

98140 01836 Chair: Professor Jagmohan Singh jagmohan08@gmail.com

14 जुलाई, 2026

केन–बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से प्रभावित लोगों के अधिकारों के उल्लंघन की निंदा करो इस परियोजना को रद्द किया जाए; इससे केवल राजनीतिकों और ठेकेदारों के गठजोड़ को लाभ होगा; प्रभावित लोगों को मुआवज़ा दिया जाए; बुंदेलखंड को जल-सुरक्षित बनाने के लिए; तथा प्रकृति और उस पर निर्भर लोगों की आजीविका की रक्षा के लिए विकेन्द्रीकृत विकल्प लागू किए जाएँ ।

केन–बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चल रहे चिता आंदोलन के बारह दिन हो रहे हैं। प्रकृति और जन रक्षा अभियान (CDNP) उनके साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता है। *केन–बेतवा परियोजना गैर-कानूनी कार्रवाइयों और अन्यायों की एक श्रृंखला बन कर रह गई है; हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इस परियोजना को दी गई स्वीकृति का कोई ठोस आधार नहीं है, मंज़ूरी देने की प्रक्रिया दोषपूर्ण थी और अब इसका अमल गैरकानूनी तरीक़ों से, और लोगों को ज़बरन बेदखल कर के किया जा रहा है।*

दिसम्बर 2021 में, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से ठीक पहले, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन–बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मंज़ूरी दी। इसका उद्देश्य यह बताया गया कि केन नदी बेसिन में तथाकथित "अतिरिक्त" पानी है, जो ग़लत दावा था, उसे बेतवा नदी में ले जाना है, ताकि 62 लाख लोगों को पीने का पानी मुहय्या कराया जा सके और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले बुंदेलखंड के "पानी की कमी से पीड़ित" क्षेत्रों में 10.62 लाख हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई की जा सके। परियोजना के प्रथम चरण का मुख्य घटक दौधन बाँध है, जो केन नदी के कथित "ज़्यादा" पानी को संग्रहित करेगा और उसे 221 किलोमीटर लंबी नहर के ज़रिये बेतवा बेसिन तक पहुँचाएगा। केवल दौधन बाँध के कारण ही मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 5,288 परिवार तथा पन्ना जिले में 1,400 परिवार विस्थापित होंगे। संपूर्ण परियोजना पर 45,000 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है, और इसके कारण पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिज़र्व का एक हिस्सा पानी में डूब जाएगा, जो बाघों का बहुत ही अहम आवास है।

"ज़्यादा पानी" का काल्पनिक दावा और अन्यायपूर्ण जल वितरण

"ज़्यादा" (Surplus) और "कम" पानी (Deficit) नदी बेसिनों की अवधारणा की कोई भरोसे मंद नहीं है। इसके पीछे लंबी सोच नहीं है। ज़्यादा पानी वाले बेसिनों में किसी जगह इन्सानी समाज की ज़रुरतों को पूरा करे इतना पानी हो सकता है, लेकिन पूरे बेसिन में क्या पारिस्थितिक काम होते हैं, क्या पारिस्थितिक सेवाएं मिलती हैं, इसका सही आकलन करना चाहिए। मसलन, किसी नदी बेसिन का ज़्यादा पानी गाद, कटाव के मलबे (Sediment) वगैरह को बहा ले जाता है और इसकी इस क्षमता(Sediment Dynamics) को बचाए रखना नदियों की पारिस्थितिकीय अखंडता तथा पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है।

वैसे भी ज़्यादा और कम पानी वाले बेसिनों का ख़याल का आधार कुछ धारणाओं पर है, जैसे जलवायु में बदलाव नहीं होगा, जो ज़्यादा पानी वाला बेसिन है वह हमेशा वैसा ही रहेगा, और कम पानी वाले बेसिन में हमेशा पानी की किल्लत रहेगी। लेकिन भारत के अनेक भागों में मानसून की प्रकृति बदल रही है, वातावरण और महासागरों में तापमान बढ़ने लगा है, एरोसोलों के प्रभाव और जंगल, जलागारों, जैसे भू-आवरण (Land Cover) में भी बदलाव आ रहा है और आने वाले दशकों में इन कारणों से बहुत बड़े बदलाव भी आ सकते हैं। इसके अलावा अब बारिश की मात्रा भी अनिश्चित रह गई है, कहाँ कितनी बारिश होगी इसका जवाब पहले की तरह नहीं दे सकते हैं। होगा यह कि आज जिसे "ज्यादा पानी वाला" कह रहे हैं वहाँ सूखा पड़ने लगे और पानी की माँग पूरी करना मुश्किल हो जाए। ऐसी नदियों में कुछ समय के लिए पानी का तेज़ बहाव देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके आधार पर लंबी-चौड़ी योजनाएं नहीं बनाई जानी चाहिए। जानकार लोगों को डर है कि शायद सूखे के वर्षों में केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना के कई अध्ययनों में बताए गये प्रवाह से काफी कम पानी होगा। इतना ही नहीं, केन और बेतवा नदियों के प्रवाह के आँकड़े ज़ाहिराना ढंग से साझा नहीं किये जा रहे हैं और इसके लिए एक कमज़ोर दलील दी जाती है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा ख़तरे में पड़ सकती है, क्योंकि केन और बेतवा गंगा की सहायक नदियाँ हैं जो बहती हुई बांग्लादेश में पहुँच जाती है!

वास्तव में यह परियोजना से केन और बेतवा नदी बेसिनों के अंदर सिंचाई का और भी ज़्यादा अन्यायपूर्ण वितरण होने वाला है। 2019 में उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय आधिकारिक समिति (Central Empowered Committee – CEC) को परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन के लिए नियुक्ति की थी। CEC ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि केन–बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के प्रथम चरण (KBLP-I) के माध्यम से केन नदी के सारे पानी को केन के निचले बेसिन तथा बेतवा के ऊपरी बेसिन के विकास के लिए मुकर्रर कर देने से, केन के ऊपरी बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र के किसान भविष्य में छोटे सिंचाई परियोजनाएँ भी नहीं चला पाएंगे। पन्ना के तत्कालीन कलेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार, यह परियोजना वास्तव में सूखाग्रस्त बुंदेलखंड से पानी का निर्यात करेगा।

केन–बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के दूसरे चरण में निचला ओर (Lower Orr) बाँध, कोठा बैराज तथा बीना की बहुउद्देशीय परियोजना परिसर बनाए जाएंगे। इनका लाभ बुंदेलखंड से बाहर, मध्य प्रदेश के शिवपुरी, विदिशा, रायसेन और भोपाल जैसे ज़िलों को भी मिलेगा। इसलिए ऐसी आशंका में वज़न है कि आख़िर में यह पानी कुछ हद्द तक इन जिलों के उद्योगों को भी दिया जाएगा।

CEC ने सच पूछो तो अपनी रिपोर्ट में सिंचाई इंजीनियरों की कलाई खोल दी है। उसने कहा है कि पहले बनाई गई लोअर बेतवा सिंचाई परियोजना "फालतू डिज़ाइन" (over-designed) थी जिससे बेतवा के निचले भाग में जितना पानी है, उसका उपयोग वहीं हो जाए और बेतवा के ऊपरी भाग के लिए कुछ भी शेष न रहे। *इस "फालतू" को ठीक करने के लिए अब नदी जोड़ो परियोजना लाई जा रही है, और इसके कारण मूलतः केन नदी का पानी बेतवा नदी के अपने पानी की जगह लेगा।*

पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव स्वीकृति प्रक्रियाओं का उपहास

इस परियोजना के लिए 6,017 हेक्टेयर वन भूमि का गैर-वानिकी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके कारण पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिज़र्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (CTH) के अंदर वन्यजीव आवास नष्ट होंगे, जहाँ फिलवक़्त 79 बाघों की आबादी है। इसके अलावा, परियोजना के कारण पानी के बहाव में भी बदलाव आएगा और केन घड़ियाल अभयारण्य के अंदर भी निर्माण कार्य किए जाएँगे, जो प्रशासनिक रूप से पन्ना टाइगर रिज़र्व के अधीन है।

वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee) के वर्ष 2017 के अनुमान के अनुसार, इस परियोजना में ज़मीन पानी में डूब जाने और वन्यजीव आवास टुकड़ों में बँट जाने के कारण कुल 10,500 हेक्टेयर वन्यजीव आवास नष्ट हो जाएगा और लगभग 46 लाख वृक्षों का नाश होगा। प्रथम चरण की वन स्वीकृति के अंतर्गत वृक्षों की नई गणना (Fresh Tree Census) कराने की शर्त रखी गई थी, लेकिन यह कभी नहीं कराई गई।

दौधन बाँध के कारण टाइगर रिज़र्व के कोर क्षेत्र का लगभग 70 प्रतिशत भाग पानी में डूब जाएगा। इसमें बाघों के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्र तथा अत्यंत संकटग्रस्त सफेद-पीठ वाले गिद्ध (White-rumped Vulture) और लंबी चोंच वाले गिद्ध (Long-billed Vulture) के आवास भी हैं। परियोजना में टाइगर रिज़र्व के भीतर 78 मेगावाट का बिजली का प्लांट की नयी योजना सोची जा रही है, जो वन स्वीकृति की शर्तों का सीधा उल्लंघन है।

दौधन बाँध के निर्माण से गाद (Silt) जलाशय में ही जमा हो जाएगा, जिससे उसका नीचे की ओर प्रवाह लगभग समाप्त हो जाएगा। इसका बुरा असर बाँध के नीचे केन घड़ियाल अभयारण्य पर पड़ेगा। तदुपरांत, परियोजना के डिज़ाइन में बरियारपुर वीयर (Bariyarpur Weir) के नीचे, जहाँ यह अभयारण्य स्थित है, नदी में पर्यावरणीय प्रवाह बनाए रखने के लिए जल छोड़ने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह बाँध पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के ऊपरी हिस्से में रहने वाले जलीय जीवों की आबादी को समूचे नदी तंत्र से अलग कर देगा, जिससे नदी के ऊपरी तथा निचले दोनों भागों में जलीय जीव-जंतुओं के प्रजनन आवासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

परियोजना की स्वीकृति के चरण में चाहे वह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा दी गई पर्यावरणीय स्वीकृति हो, वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee) की सिफ़ारिश हो, अथवा मध्य प्रदेश राज्य वन्यजीव बोर्ड की स्वीकृति—प्रक्रियागत त्रुटियों से ग्रस्त थी और कई तरह की हेराफेरी से दूषित थी। प्रत्येक चरण में विशेषज्ञों ने गंभीर आपत्तियाँ और चिंताएँ व्यक्त कीं लेकिन उन्हें दरकिनार कर दिया गया।

- उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय सशक्त समिति (Central Empowered Committee – CEC) ने वस्तुतः यह कहा था कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी (SC-NBWL) द्वारा प्रदान की गई वन्यजीव स्वीकृति, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के विपरीत थी। *अतः यह स्पष्ट रूप से एक अवैध परियोजना है।*
- *राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी (SC-NBWL) ने अपनी ही विशेषज्ञ समिति के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की उपेक्षा की।* उन निष्कर्षों में कहा गया था कि— (क) देश में शेष बचे नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्रों तथा बाघों के महत्वपूर्ण आवासों की पारिस्थितिकी को किसी भी विकास परियोजना द्वारा नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। संरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्राप्त ऐसे वन्य क्षेत्रों में इस प्रकार की परियोजनाओं से बचना ही सर्वोत्तम होगा। और, (ख) केन नदी के जल संसाधनों का उपयोग करते हुए इस क्षेत्र की आजीविका और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजना संभवतः सर्वोत्तम विकल्प नहीं है।
- पन्ना टाइगर रिज़र्व में नष्ट होने वाले 10,500 हेक्टेयर वन्यजीव आवास की भरपाई के लिए इसे तीन अन्य वन्यजीव अभयारण्यों के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव रखा गया था। *परंतु बाद में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी (SC-NBWL) ने उन्हीं जगहों में और भी ज़्यादा वन भूमि को दुसरे उपयोग के*

लिए बदलने का मंज़ूर कर दिया। जिन्हें केन–बेतवा परियोजना से होने वाली क्षति की भरपाई के लिए सुरक्षित रखा जाना था, वह भी गई। 2023 में मध्य प्रदेश के वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया, फिर भी, जनवरी 2026 में SC-NBWL ने इसी नए टाइगर रिज़र्व के अंदर 272 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग एक सिंचाई बाँध के लिए मंज़ूर कर दिया।

- CEC ने अपनी रिपोर्ट में कहा था:"राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) तथा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी (SC-NBWL) द्वारा सुझाए गए शमन उपाय (Mitigative Measures), केन नदी के दोनों तटों पर स्थित गहरी घाटियों (Gorges), चट्टानी खड़ी ढलानों (Rocky Cliffs) तथा नदी-तटीय वनस्पति एवं जीव-जंतुओं से युक्त इस विशिष्ट और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश की भरपाई नहीं करते। *इस पारिस्थितिकी तंत्र में विकसित हुए वन्यजीवों, जिनमें सूक्ष्म वनस्पतियाँ एवं सूक्ष्म जीव-जंतु भी शामिल हैं, का इस परियोजना के चालू होने पर सदा के लिए नाश हो जाएगा।*"
- CEC ने यह भी कहा था कि परियोजना के बाँध के नीचे स्थित *घड़ियाल अभयारण्य तथा गिद्धों के घोंसला-स्थलों पर पड़ने वाले प्रभाव का SC-NBWL ने परीक्षण नहीं किया* और न ही उसके लिए किसी प्रकार के शमन उपाय बताए।

Centre for Environment Law, WWF-India बनाम भारत संघ *(IA No. 100 in WP(C) No. 337 of 1995)* के मामले में *उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि प्रकृति के प्रति हमारा दृष्टिकोण मानव-केंद्रित (Anthropocentric) नहीं बल्कि पारिस्थितिकी-केंद्रित (Ecocentric) होना चाहिए, तथा हमें "प्रजातियों के सर्वोत्तम हित के मानक" (Species Best Interest Standard) को अपनाना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रखने का समान अधिकार सभी प्रजातियों को प्राप्त है।*

कानून और विधिसम्मत प्रक्रिया का उल्लंघन, लोकतांत्रिक अधिकारों एवं नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन, तथा मानवाधिकारों का उल्लंघन

अन्य सभी ऐसी विशाल परियोजनाओं की तरह, इस परियोजना में भी बेदख़ली और आजीविका के नुकसान का बोझ आदिवासियों तथा अन्य सर्वाधिक वंचित समुदायों पर बेशुमार डाला जा रहा है। छतरपुर जिले की बिजावर तहसील के दौधन गाँव के गोंड और कोल आदिवासी पीढ़ियों से इस भूमि पर निवास करते आए हैं और उनकी आजीविका पूर्णतः खेती, नदी तथा जंगल से प्राप्त संसाधनों पर निर्भर है। दौधन बाँध के कारण 6,600 से अधिक गोंड और कोल आदिवासी बेदख़ल होने वाले हैं।

इस परियोजना के कारण 10 गाँव पूरे के पूरे पानी में डूब जाएंगे, जबकि कुल 24 गाँवों से लोगों को हटना पड़ेगा। इनमें से 14 गाँवों को पन्ना टाइगर रिज़र्व के कोर क्षेत्र में हुई क्षति की भरपाई के लिए रिज़र्व में सम्मिलित किया जा रहा है। नतीजतन, 10 गाँवों का 2013 के पुनर्वास भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन अधिनियम (RFCTLARR Act, 2013) के तहत किया जा रहा है, जबकि 14 गाँवों का पुनर्वास वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत किया जा रहा है।

परियोजना तथा उसके प्रभावों के संबंध में ग्रामीणों को जानकारी देने तथा उनके मुआवज़े का निर्धारण करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बिलकुल नदारद है। आदिवासी गाँवों में, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः स्थापन में RFCTLARR Act को देखें तो ग्राम सभा की सहमति ज़रूरी है, लेकिन ऐसी सहमति प्राप्त नहीं की गई। परियोजना से प्रभावित किसी भी गाँव में ग्राम सभाएँ आयोजित नहीं की गईं और न ही सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment) की रिपोर्टें जनता के समक्ष प्रस्तुत की गईं।

विस्थापित किए जा रहे लोगों को पुनर्वास के लिए एकमुश्त 6.5 लाख रुपये के अनुदान तथा एक शहरी भूखंड, अथवा 7 लाख रुपये और एक ग्रामीण भूखंड, अथवा यदि वे भूखंड नहीं लेते हैं तो मात्र 12.5 लाख रुपये लेने का विकल्प दिया गया है। व्यवहार में, पुनर्वास को केवल नकद मुआवज़े तक सीमित कर दिया गया है। वृक्षों, बागों, झोंपड़ियों एवं शेड जैसी संरचनाओं, कुओं तथा नलकूपों के लिए अतिरिक्त मुआवज़ा मिलाकर केवल लगभग 2 लाख रुपये बनता है; तथा अधिग्रहित मकानों के लिए मुआवज़ा भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार दिया जाता है। परंतु जंगल तक पहुँच नहीं रही - इसका कोई मुआवज़ा नहीं दिया जाता, हालाँकि जंगल से उन्हें भोजन मिलता है और महुआ के फूल, तेंदू के पत्तों जैसे गैर-काष्ठ वन उत्पादों (Non-Timber Forest Produce) से नकद आय का स्रोत भी जंगल ही हैं। इन समुदायों के अनेक लोगों के लिए यह दूसरा विस्थापन है—पहला विस्थापन पन्ना टाइगर रिज़र्व के निर्माण के समय हुआ था।

अगर वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act – FRA) ठीक से लागू किया गया होता, तो आदिवासी तथा अन्य परम्परागत वन-निवासी समुदायों के अधिकारों का विधिवत दस्तावेज़ बनता। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (Community Forest Resource Rights) के तहत ग्राम सभा को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि उनकी वन भूमि का उपयोग किसी और प्रयोजनों के लिए किया जाए या नहीं। लेकिन FRA को लागू नहीं किया गया है। यहाँ तक कि पन्ना टाइगर रिज़र्व के अंदर वाले गाँवों का पुनर्वास भी FRA के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा रहा है।

स्थानीय समुदायों की माँग है कि उनके सदियों पुराने गाँवों को नष्ट न किया जाए, क्योंकि उनका गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। यदि विस्थापन को टालना नामुमकिन हो, तो वे RFCTLARR Act का पूर्णतः पालन किए जाने की माँग करते हैं। वे चाहते हैं कि आदिवासी समुदायों के सभी प्रभावित और विस्थापित गाँवों का पुनर्वास इस प्रकार किया जाए कि उनकी संस्कृति तथा उनकी पारम्परिक जीवन-पद्धति सुरक्षित रहे। उनकी माँग है कि भूमि के बदले भूमि तथा गाँव के बदले गाँव दिया जाए, ताकि वे अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक परम्पराओं और सम्मानजनक आजीविका को बनाए रख सकें।

मुआवज़े के लिए किये गये सर्वेक्षणों में पाई गई विसंगतियों और कथित भ्रष्टाचार से वे ख़फ़ा हैं और अप्रैल 2026 में चिता आंदोलन के दौरान आदिवासी तथा अन्य समुदायों की लगभग 7,000 महिलाओं ने प्रतीकात्मक चिताओं पर लेटकर यह संदेश दिया कि विस्थापन भी एक प्रकार की मृत्यु है। इसके साथ ही जल आंदोलन तथा मिट्टी आंदोलन भी आयोजित किए गए, जिनमें प्रदर्शनकारियों ने अपने गले में रस्सियाँ बाँधकर नदियों में उतरकर तथा स्वयं को मिट्टी में दबाकर विरोध दर्ज कराया। इसके अतिरिक्त, सत्याग्रह, जिनमें धरने, प्रदर्शन, सड़क जाम तथा कलेक्टर कार्यालय का घेराव शामिल थे, निरंतर जारी रहे।

जब सरकार ने प्रदर्शनकारियों को यह आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं पर विचार किया जाएगा, तब आंदोलन स्थगित कर दिया गया। किन्तु उसी समय सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - BNSS 2023 की धारा 163 लागू कर दी, जिसमें लोगों की सभाओं को अवैध घोषित किया जा सकता है। *इसके बाद खुला दमन आरम्भ हुआ। जय किसान संगठन के आंदोलनकारी नेताओं के विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज किए गए और कईयों को जेल भेज दिया गया। इसके बाद बिना किसी पूर्व सूचना के लोगों को उनके घरों से बेदखल किया गया, मकानों और स्कूलों को गिरा दिया गया और बिजली के कनेक्शन काट दिए गए।*

ये सभी कार्रवाइयाँ RFCTLARR Act का उल्लंघन हैं। इस अधिनियम की धारा 21 के अनुसार जिला कलेक्टर के लिए यह अनिवार्य है कि वह सार्वजनिक सूचना जारी करे तथा प्रभावित व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत दावे और आपत्तियाँ प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों से लेकर 6 महीने तक का समय दे। इसी प्रकार, धारा 38(1) राज्य को तब तक भूमि पर पूर्ण कब्ज़ा लेने से रोकती है, जब तक कि समस्त मुआवज़ा, पुनर्वास और

पुनःस्थापन संबंधी अधिकारों का पूर्ण भुगतान न कर दिया गया हो। जुलाई 2026 में चिता आंदोलन तथा आमरण अनशन पुनः आरम्भ हो गए हैं, जिनका नारा है—
"हमें न्याय दो, या हमें मार डालो।"

केन–बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विकल्प

केन–बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध वैकल्पिक उपायों पर कभी विचार ही नहीं किया गया। इस प्रकार पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment – EIA) के मूल सिद्धांत का उल्लंघन किया गया।

- केन–बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की योजना बनने से पहले ही केन नदी बेसिन में 182 तथा बेतवा नदी बेसिन में 348 सिंचाई परियोजनाएँ वर्थीं। इन परियोजनाओं की कार्यकुशलता में सुधार किया जा सकता था। इसका स्पष्ट उदाहरण वर्तमान बरियारपुर बैराज है। इसकी 59.34 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर तथा 960.6 किलोमीटर लंबे वितरण तंत्र का डिज़ाइन 2,29,360 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई के लिए किया गया था। लेकिन सिंचाई आँकड़े बताते हैं कि यह अपनी निर्धारित क्षमता के केवल लगभग एक-तिहाई क्षेत्र की ही सिंचाई कर पाया है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 1,100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देश में ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जहाँ इससे आधे से भी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ग्राम समुदायों ने जलग्रहण क्षेत्र विकास (Watershed Development) तथा जल माँग प्रबंधन (Demand Management) के माध्यम से स्थानीय जल का संचयन कर स्थायी जल-सुरक्षा सुनिश्चित की है.
- 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच चंदेल और बुंदेला शासकों के काल में निर्मित हजारों तालाब पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो दुर्भाग्यवश आज उपेक्षा के कारण अनुपयोगी पड़े हैं। इसलिए क्षेत्र की जल-सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारी लागत वाली, लंबीअवधि में पूरी होने वाली और जिसके परिणाम क्या होंगे इसका अतापता न हो ऐसी इस विशाल परियोजना को बढ़ावा देने के बजाय इन पारंपरिक तालाबों के पुनर्जीवन पर ध्यान केंद्रित करने का ठोस आधार मौजूद है।
- सदियों पहले बने तालाब, चेक डैम, खेत-तालाब (Farm Ponds) और जलग्रहण क्षेत्र प्रणालियाँ (Watershed Systems) बुंदेलखंड में उपेक्षा के कारण जर्जर हो चुके हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में तालाबों के पुनरुद्धार तथा खेत-तालाबों से संबंधित कुछ सफल योजनाएँ पहले से ही चल रही हैं। मिट्टी के बाँधों (Earthen Bunding) पर आधारित पारंपरिक हवेली प्रणाली भूजल स्तर को बढ़ाने में सहायक है। उपयुक्त सरकारी सहायता और योजनाओं के माध्यम से इन सभी उपायों का पूरे क्षेत्र में व्यापक स्तर पर विस्तार किया जा सकता है।
- उपर्युक्त उपायों के साथ-साथ जल की माँग का प्रबंधन (Demand Management) तथा जल तक समान और न्यायसंगत पहुँच (Equitable Access to Water) सुनिश्चित करके भी बुंदेलखंड को जल-सुरक्षित बनाया जा सकता है।

हमारी माँगें

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि केन–बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जो नागरिक पहले से ही असुरक्षित एवं वंचित हैं उनके साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय अन्याय है, और साथ ही यह मानवेतर जीवों के प्रति पारिस्थितिकीय अन्याय भी है। संरक्षित क्षेत्र के 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूभाग तथा 46 लाख वृक्षों का विनाश, होने से जलवायु संकट के इस दौर में अत्यंत महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय सेवाओं (Ecological Services) तथा मूल्यवान कार्बन अवशोषकों (Carbon Sinks) की भी क्षति हो रही है।

जैसा कि ऊपर भी कहा गया है, बुंदेलखंड को जल-सुरक्षित बनाने के लिए व्यावहारिक, विकेन्द्रीकृत, कम लागत वाले तथा प्रकृति और लोगों पर आधारित विकल्प उपलब्ध हैं, जिन्हें विनाशकारी केन–बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की तुलना में कहीं अधिक शीघ्रता से लागू किया जा सकता है। इसलिए हम निम्नलिखित माँगें करते हैं—

- परियोजना को दी गई केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति तत्काल वापस ली जाए।
- जिन लोगों को विस्थापित किया जा चुका है तथा जिनके घरों और गाँवों को ध्वस्त कर दिया गया है, उनका पुनर्वास किया जाए, उनके गाँवों का पुनर्निर्माण किया जाए तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें उपयुक्त मुआवज़ा प्रदान किया जाए।
- अपने गाँवों और भूमि की रक्षा के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के कारण लोगों के विरुद्ध दर्ज किए गए सभी मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएँ।
- मुआवज़े और पुनर्वास की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की राज्य सरकारों द्वारा त्वरित जाँच (Fast-track Investigation) कराई जाए तथा अवैध बेदखली, मकानों के ध्वस्तीकरण तथा बिजली आपूर्ति काटने के आदेश देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
- परियोजना के कारण भूमि, जल और वनों को हुई क्षति की भरपाई की जाए तथा राज्य सरकारें पर्यावरणीय पुनर्स्थापन (Environmental Restoration) के उपाय तत्काल आरम्भ करें।
- पहले से चली आ रही सिंचाई अवसंरचना, पारंपरिक तालाबों, खेत-तालाबों तथा जलग्रहण क्षेत्र प्रणालियों के पुनर्जीवन के लिए ठोस प्रयास किए जाएँ तथा साथ ही जल की माँग के प्रबंधन और जल के न्यायसंगत वितरण की दिशा में नीति-स्तर पर परिवर्तन किए जाएँ।

जारीकर्ता

राजेश रामकृष्णन
संयोजक